

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 5 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-90/2024.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) जो आज दिनांक 6 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित /—  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

2024 का विधेयक संख्यांक 27.

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन)  
विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

- संक्षिप्त नाम।
- धारा 32 का प्रतिस्थापन।

2024 का विधेयक संख्यांक 27.

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 32 का प्रतिस्थापन.—अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“32. वित्त समिति.—“सरकार के (वित्त सचिव) की अध्यक्षता में एक वित्त समिति होगी। इसका गठन, पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में विहित की जाए। पदों के सृजन, उन्नयन या भरने, भर्ती और प्रोन्नति नियमों की विरचना, वेतन और भत्तों के पुनरीक्षण सहित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित समस्त वित्तीय और सेवा मामले सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे। वित्त समिति, ऐसे मामलों पर अपनी सिफारिशें सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।”।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) अध्ययन, विद्वता और मूल्यांकन प्रणाली के क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार और मानकीकरण, स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न विद्या शाखाओं के उन्नयन करने और अनुसंधान करने तथा अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रसुविधाएं और स्वास्थ्य शिक्षा आदि उपलब्ध करवाने हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।

राज्य सरकार, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय को इसके विभिन्न अनुसंधान और सहबद्ध क्रियाकलापों को सूकर बनाने हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के बावजूद यह पाया गया है कि लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की इस विषय में मुश्किल से कोई रचनात्मक भूमिका है। इसलिए विश्वविद्यालय के कृत्यों में अपनी बात रखने के दृष्टिगत प्रस्तावित विधेयक में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 32 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिसके द्वारा सरकार के सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में वित्तीय समिति की बाबत उपबन्ध किए जाने हैं। इस प्रकार गठित समिति विश्वविद्यालय के वित्तीय और सेवा मामलों के पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी और उससे सम्बन्धित किसी भी मामले पर अपनी संस्तुतियां सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)  
मुख्य मंत्री।

शिमला:

तारीख:....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

### प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड को सशक्त करता है। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन)  
विधेयक, 2024

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)  
मुख्य मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख:....., 2024.

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 27 of 2024.**

**THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH  
(AMENDMENT) BILL, 2024**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title.
2. Substitution of section 32.

**Bill No. 27 of 2024.**

**THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH  
(AMENDMENT) BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017 (Act No.11 of 2017).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh (Amendment) Act, 2024.

**2. Substitution of section 32.**— For section 32 of the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017, the following shall be substituted, namely:—

**“32. The Finance Committee.**—The Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government. Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes. All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee. The Finance Committee shall submit its recommendations on such matters to the Government for consideration and approval.”.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017 (Act No.11 of 2017) was enacted to establish a University to improve and standardize health education in the field of teaching, learning and evaluation system, to promote and carry out research in various disciplines of Health Sciences, to provide latest healthcare facilities and health education etc.

The State Government provides financial help to the University in the form of Grant-in-Aid to facilitate its various research and allied activities in the field of Health Education. However, despite having rendered financial assistance to the University, it has been noticed that there is hardly any constructive role for the democratically elected Government to play in the functioning of the University. Therefore, with a view to have a say in the functioning of the University for overall betterment, the proposed Bill seeks to substitute section 32 of the Act *ibid.* thereby making the provisions with respect to the Finance Committee headed by the Secretary (Finance) to the Government. The Committee so constituted shall be responsible for supervision and management of financial and service matters of the University and submit thereof its recommendations on any matter relating thereto, to the Government for its approval.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**  
*Chief Minister.*

SHIMLA:

The....., 2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-NIL-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 2 of the Bill seeks to empower the Board of Management to make statutes for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

---

**THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH  
(AMENDMENT) BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017  
(Act No.11 of 2017).*

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**  
*Chief Minister.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

The....., 2024.

---